न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 25 / 2022 | प्रा0पत्र 136 RLRA | 29.04.2022 | 27.01.2023 |

1. मुन्नी बानो उम्र 59 वर्ष पत्नी स्व. युसुफ जाति काजी निवासी ग्राम दाडुण्दा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान

–प्रार्थीग–

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

अप्रार्थी–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. तेजपाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित

**आदेश**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पति के नाम खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 5.3241 हैक्टेयर वाके ग्राम पोटी पटवार हल्का बीनासर तहसील जिला चूरू राजस्थान की तन में अवस्थित है।

प्रार्थीया के ससुर की मृत्यु के पश्चात विरासतन नामान्तरण में प्रार्थी के पति का नाम सहवन से युसुफ के स्थान पर ईसब गलत अंकित हो गया जबकि प्रार्थीया के पति के नाम से अन्य कृषि भमि खसरा संख्या 119,120,121,122 व 126 तथा 277 वाके ग्राम दाडुण्दा तहसील रामगढ शेखावाटी के राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों में प्रार्थीया के पति का नाम युसुफ पुत्र सदीह शाह सही दर्ज है।

प्रार्थीया के पति की मृत्यु दिनांक 04.11.2020 को हो चुकी है, प्रार्थीया के पति के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीया के पति का नाम युसुफ पुत्र सदीक शाह सही अंकित है। इसलिए प्रार्थीया अपने पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ईसब गलत रूप से दर्ज होने के कारण प्रार्थीया अपने पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ईसब गलत रूप से दर्ज होने के कारण प्रार्थीया अपने पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कराने की अधिकारीणी है।

प्रार्थीया के पति का समस्त लोक दस्तोजों में प्रारम्भ से ही युसुफ चला आ रहा है तथा परिवार के सदस्य घर पर पर प्रार्थीया के पति को ईसब के नाम से पुकारते थे। उसी के अनुसार प्रार्थीया के पति का नाम ईसब राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करोने के अधिकारीणी है।

प्रार्थीया ने अपने पति का नाम संशोधन करने हेतु राजस्व अधिकारियाके एवं तहसीलदार महोदय चूरू के बार–बार निवेदन किया [illegible] नाम संशोधन करने से स्पष्ट इंकार हो गये। परिणामतः प्रार्थीया को प्रार्थना [illegible] करना आवश्यक हो गया।

अन्य खातेदारों के [illegible] कोई रिलि[illegible] चाहने के कारण अन्य सह खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार [illegible] नहीं है।

प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] का हाने से माननीय [illegible] के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में अवस्थित होने से वाद माननीय न्यायालय के समक्ष [illegible] पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पति का नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 5.3241 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम पोटाी पटवार हल्का बीनासर तहसील व जिला चूरू राजस्थान जिसमें प्रार्थीया के पति का 1/7 वां हक हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में ईसब के स्थान पर युसुफ पुत्र सदीकशाह किया जाना प्रार्थनीय है।

अतः प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 तादादी 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 तादादी 3.2881 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 तादादी 1.8211 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही थैलासर तहसील व जिला चूरू में इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 22.03.1980 में प्रार्थीगण के पिता के पुत्रों का नाम जोड़ दिया गया जो कि गलत है और उक्त इन्तकाल एवं जमाबन्दी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के पुत्रों का नाम हटाकर प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण के पिता का नाम रखे जाने जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये। प्रकरण नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार चूरू से जाँच रिपॉर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार चूरू की ओर से अंकित आया कि वादीनी दाडुण्टा निवासी तहसील रामगढ निवासी है अतः जाँच रिपॉर्ट वहाँ से मंगवाई जावे। जिस पर तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार रामगढशेखावाटी सें प्राप्त रिपोर्ट में अंकित आया कि प्रार्थीया के पति का नाम युसुफ ही है ग्राम दाडुण्दा के राजस्व रिकॉर्ड की जांच में भी जमाबंदी 2074–77 में खाता संख्या 142 पर भी युसुफ नाम ही दर्ज है प्रार्थीया के पति के दस्तावेजों में भी युसुफ नाम ही दर्ज है अतः उक्त के आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम ईसब के स्थान पर युसुफ किया जाना उचित है।

जिस पर बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इसब के स्थान पर युसुफ किये जाने हेतु निवेदन किया तथा पैरोकार राम ने कथन किया कि उक्त नाम दुरूस्त किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है।

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया जमाबंद सम्वत् 2070–73 खसरा नम्ब्र 118 ग्राम पोटी पटवार हल्का बीनासर में प्रार्थीया के पति का नाम इसब पुत्र सदीकाशाह हिस्सा 1/7 जाति काजी निवासी पोटी हाल आबाद दाडुण्दा तह. फतेहपुर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2074य–2077 खसरा नम्बर 277 ग्राम दाडुण्दा पटवार हल्का खोटिया भू.अ.नि. क्षेत्र ढांढण तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर में युसुफ पुत्र सदीक हिस्सा 1/4 जाति फकीर सा.देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2074य–2077 खसरा नम्बर 119,120,121,122,126 ग्राम दाडुण्दा पटवार हल्का खोटिया भू.अ.नि. क्षेत्र ढांढण तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बानू पत्नी युसुफ [illegible] खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् वर्ष 2005 खसरा नम्बर 118 ग्राम पो[illegible] चूरू में इसब पि. सदीक शाह दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2065 –20[illegible] पटवार हल्का बीनासर में इसब पि. सदीकाशाह अंकित [illegible] –2072 में इसब पि. सदीक शाह अंकित है। खसरा नम्बर 1[illegible] हल्का बीनासर में इसब पि. सदीकाशाह अंकित है। जन आधार कार्ड परिवार पहचान सं[illegible] 5003576328 प्रार्थीया के पति का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

युसुफ अंकित है। प्रार्थीया के आधार कार्ड संख्या 648482751794 में प्रार्थीया के पति का नाम युसुफ अंकित है। प्रार्थीया के मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थीया के पति मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम युसुफ है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दाडुण्दा में अंकित किया है कि इसब पुत्र सदीक शाह तथा युसुफ पुत्र सदीक शाह दोनों एक ही व्यक्ति हैं इस नाम का इस गांव में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ शेखावाटी के अनुसार युसुफ एवं ईसब दोनों एक ही व्यक्ति है।

उक्त विवेचन स्पष्ट होता है कि उक्त त्रुटि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जो आज तक चली आ रही है। उक्त त्रुटि तत्समय जो सहवन से हुई प्रतीत होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है जिसको सही व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 118 तादादी 5.3241 हैक्टेयर, रोही ग्राम पोटी में तहसील व जिला चूरू में अंकित इसब पुत्र सदीक शाह 1/7 जाति काजि निवासी पोटी हाल आबाद दाडुण्दा तह. फतेहपुर में अंकित इसब के स्थान पर युसुफ दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:06 IST
Reason: SelfAttested